(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1288–दो/2002 विरूध्द आदेश दिनांक 27–03–2002 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 823/1994–95 अपील.

1– लल्लू पटेल पुत्र राजा पटेल (मृत) वारिसान–
अ– जगन्नाथ पुत्र स्व. लल्लू पटेल
ब– केदार पुत्र स्व. लल्लू पटेल
स– परनिया पुत्री स्व. लल्लू पटेल पत्नी केमलाप्रसाद
नि0 बड़ी पांती,तह0 गुढ़ जिला रीवा
2– द्वारिका पुत्र कल्लू पटेल
3– शोखीलाल पुत्र कल्लू पटेल
दोनों नि0 रामनई थाना रायपुर कर्चु0 जिला रीवा
4– शकुन्ता पत्नी विसर्जन पटेल
नि0 रामनई थाना रायपुर कर्चु0 जिला रीवा
5– तीरथ पुत्र राजा, नि0 बड़ी पांती,
तह0 गुढ़ जिला रीवा

----- आवेदकगण

विरूध्द

1– पुन्यप्रताप पटेल पुत्र उग्रसेन
2– रमाकांत पुत्र उग्रसेन
3– श्रीकृष्ण पटेल पुत्र उग्रसेन
सभस्त नि0 बड़ी पांती,तह0 गुढ़ जिला रीवा

--- अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री, मुकेश भार्गव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 11.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अपील प्रकरण कमांक 823/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 27–03–2002 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कल्लू तथा लल्लू पुत्रगण राजा पटेल व्दारा संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत ग्राम पाती की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 10 पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अनावेदकगण पून्यप्रताप आदि के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 25–03–95 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1993–94 में कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31–7–95 व्दारा स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27–03–02 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का वर्षों से शान्तिपूर्ण कब्जा है। तहसील न्यायालय में कब्जा इन्द्राज का आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा विधिवत साक्ष्य एवं पटवारी प्रतिवेदन लेने के बाद खसरा वर्ष 1993–94 में कब्जा अंकित करने के आदेश दिये जिसे अपीलीय न्यायालयों व्दारा बिना साक्ष्य का अवलोकन किये निरस्त करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकों व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस कारण

प्रकरण संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत था। धारा 116 के अन्तर्गत अशुध्द प्रविष्टि को एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा शुध्द किया जा सकता है, किन्तु धारा 116 के अन्तर्गत नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती जिसका कि कोई अस्तित्व ही पूर्व में ना हों। ऐसी दशा में तहसीलदार का आदेश अधिकार विहीन होने से निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदकगण के पिता लल्लू एवं कल्लू व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में धारा 115/116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें लम्बे समय से कब्जा होना तथा आज तक दर्ज नहीं किया जाना दर्शाया गया। संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का शुध्दिकरण तहसीलदार व्दारा स्वयं किया जा सकता है। धारा 116 में यह प्रावधान है कि –

"यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हों जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुध्दिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों की प्रविष्टि के शुध्दिकरण हेतु आवेदनपत्र प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकरण में तहसीलदार व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने के आदेश दिये गये हैं जिसका पूर्व में राजस्व अभिलेखों में कोई इन्द्राज नहीं था। धारा 116 के अधीन तहसीलदार व्दारा प्रविष्टि का शुध्दिकरण किया जा सकता था

और कोई नई प्रविष्टि करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं थी, इस कारण अपीलीय न्यायालयों व्दारा तहसील का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27–03–02 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–07–95 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0